# अचल संपत्ति के लेन—देन के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवा(आचरण) नियमावली 1964 के नियम 18(3) के तहत विभाग को सूचना देने अथवा पूर्व अनुमति लेने का फार्म

## Form for giving intimation or seeking previous sanction under Rule 18(3) of the CCS(Conduct) Rules, 1964 for transaction in respect of immovable property

(भारत सरकार, डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं. 11013/2/2018—ई.ए.तीन दि. 17.12.2018 अनुसार अद्यतन/ Updated vide GOI, DOPT, OM No. 11013/2/2018-Estt.A-III, dated 17-12-2018)

	Name of the Government servant	
	(अ) पदनाम / (a) Designation (ब) सेवा जिससे संबंधित हैं/Service to which belongs	:
	(स) कर्मचारी संख्या या कोड संख्या / Employee No. or Code No.	:
2.	वेतनमान एवं वर्तमान वेतन/ Scale of pay and present pay	:
3.	आवेदन का उद्देश्य (लेन—देन की स्वीकृति या लेन—देन की पूर्व सूचना) Purpose of application(Sanction for transaction or prior intimation of transaction)	:
4.	क्या संपत्ति अधिग्रहीत की जा रही है या उसका निपटान किया जा रहा है : Whether property is being acquired or disposed of	
5.	अधिग्रहण / निपटान की संभावित तिथि : Probable date of acquisition/disposal of property	
6.	(अ) अधिग्रहण का माध्यम(खरीद / विक्रय, उपहार या अन्य) : (a) Mode of acquisition (Purchase/Sale, gift, or otherwise) (ब) निपटान का माध्यम / (b) Mode of disposal :	
7.	संपत्ति का ब्योरा / Description of Property :	
	(अ) स्थान का पूरा ब्योरा(स्थान यथा म्यूनिसिपल संख्या, गली / : गाँव, तालुक, जिला एवं राज्य जिसमें संपत्ति स्थित है) (a) Full details about location (Full details about location viz. Municipal N Street/Village, Taluk, District and State in which the property is situated)	lo
	(ब) संपत्ति का ब्योरा(आवासीय और अन्य भवन या भूमि) : (b) Description of Property(Housing and other buildings or Lands)	
	(स) संपत्ति फीहोल्ड है या लीजहोल्ड : (c) Whether freehold or leasehold	
	(द) संपत्ति में आवेदक का स्वामित्व(हित) पूर्ण है अथवा आंशिक, : आंशिक हित के मामले में, ऐसे हित की सीमा भी दर्शाएं (d) Whether applicant's interest in the property is in full or part, in case o partial interest, extent of such interest must be indicated	f
	(य) संपत्ति पर स्वामित्व, यदि केवल सरकारी कर्मचारी के नाम से : लेनदेन नहीं हुआ है, तो प्रत्येक सदस्य के स्वामित्व का ब्योरा व हिस्सा दर्शाया जाए  (e) Ownership of the property, in case transaction is not exclusively in the	•
	name of the Government servant, particulars of ownership and share of each member may be given	•
	(र) संपत्ति की बिक्री / क्रय का मूल्य(उपहार के मामले में बाजार कीमत): (f) Sale/purchase price of the property(Market value in the case of gifts)	
8.	अधिग्रहण के मामले में, वे स्त्रोत जिनसे वित्त की व्यवस्था की गई है/ : प्रस्तावित है (अ) व्यक्तिगत बचत या (ब) ब्योरे सहित अन्य स्रोत In case of acquisition, source or sources from which financed/proposed to be financed:-(a) Personal Savings or (b) other sources giving details	)

सरकारी कर्मचारी का नाम

1.

9. अचल संपत्ति के निपटान के मामले में,इसके अधिग्रहण हेतू क्या आवश्यक : स्वीकृति/सूचना ली गई/दी गई (स्वीकृति/पावती की प्रति संलग्न की जानी चाहिए)

In the case of disposal of property, was requisite sanction/intimation obtained/ given for its acquisition(a copy of the sanction/ acknowledgment should be attached)

- उन पक्षों का ब्योरा जिनसे लेनदेन प्रस्तावित है / Details of the parties with whom transaction is proposed to be made:-10.
  - (अ) उस पक्ष का नाम व पता जिनसे लेनदेन / सौदा किया जाना है (a) Name and address of party with whom transaction is proposed to be made.
  - (ब) क्या वह पक्ष आवदेक से संबंधित है ? यदि हाँ तो उससे संबंध लिखें
  - (b) Is the party related to the applicant? If so, state the relationship
  - (स) क्या आवेदक का उस पक्ष से किसी भी समय कार्यालयी हैसियत से कोई व्यवहार रहा है, या आवेदक निकट भविष्य में उनसे कोई व्यवहार करने वाला है? अपना उत्तर हाँ या नहीं में दें। उत्तर यदि हाँ में है तो पूरा ब्योरा दिया जाना चाहिए
  - (c) Did the applicant have any dealings with the party in his official capacity at any time, or is the applicant likely to have any dealings with him in the near future? Wrte the answer in YES or No. If yes, full details should be given
  - (द) लेनदेन का व्यवहार किस प्रकार तय हुआ ? (क्या किसी सांविधिक निकाय या एक निजी एंजेसी से विज्ञापन के द्वारा या निजी एजेंसी मित्रों व संबंधियों से पूरा ब्यौरा दें।
  - How was the transaction arranged? (Whether through any statutory body or a private agency through advertisements or through private agency friends and relatives). Full particulars to be given.
- उपहार के द्वारा अधिग्रहण / खरीद के मामले में क्या आपको केन्द्रीय 11. सिविल सेवा(आचरण) नियमावली 1964 के नियम 13 के तहत अनुमति चाहिए। उत्तर हाँ या नहीं में दें। In case of acquisition by gifts, whether sanction is also required under Rule 13 of the CCS(Conduct) Rules, 1964. Write the answer in Yes or No.
- **12.** अन्य कोई अपेक्षित जानकारी जो आप प्रस्तुत करना चाहते हैं Any other relevant fact which the applicant may like to mention

घोषणा / DECLARATION					
मैं,ए वह घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए ब्यौरे सही है। अधिग्रहण/खरीद/निपटान की अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध कर					
I,hereby declare that the particulars given permission to acquire/dispose of property as described above fr	om/to the party whose name is mentioned in				
Item 7 above. या	/or				
मैं, उपरोक्त वर्णित संपत्ति के अधिग्रहण / निपटान की सूच दिए गए सभी ब्यौरे सही हैं। I,hereby intimate the acquisition/disposal of prope					
particulars given above are true.					
स्थान (Station) :	हस्ताक्षर (Signature) :				
दिनाँक (Date):	नाम(Name) :				
	पदनाम (Designation) :				
	प्रभाग या अनुभाग(Division or Section):				

टिप्पणी 1- उपरोक्त फॉर्म में आवश्यकता के अनुसार विभिन्न भाग को भरा जाना है/

Note1—In the above form, different portion may be used according to requirement.

टिप्पणी 2. जिन मामलों में पूर्व स्वीकृति आवश्यक है. वहाँ लेन–देन की तिथि से 30 दिन पूर्व आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए

NOTE 2-- Where previous sanction is asked for, the applicant should be submitted at least 30 days before the proposed date of the transaction.

मकान के निर्माण / मकान की बढ़ोतरी के लिए निर्धारित प्राधिकारी से अनुमित हेतु दी जाने रिपोर्ट का फॉर्म / आवेदन
Form of report/application for permission to the prescribed authority for the building of or addition to a house के.सि.से.(आचरण) नियमावली 1964 के नियम 18 के निर्णय संख्या (4) अनुसार / As per Decision No.(4) below Rule 18 of CCS(Conduct) Rules 1964.

प्रस्तुतकर्त्ता / From :		दिना	क / Date,
सेवा में / To :			
महोदय/Sir,			
आपको यह सूचना देनी है कि मैं अपना एक मकान बनाना / मेरे मकान This is to report to you that I propose to build a house/to make a		٠,	
यह अनुरोध है कि मुझे एक मकान बनाने / मकान में बढ़ोतरी की अनुम	ाति प्रदान करें।		
This is to request that permission may be granted to me for the b (उस हिस्से को काट दें जो	ouilding of a ho लागू नहीं है/	use/the add Strike out t	dition to the house. the portion not applicable)
निर्माण बढ़ोतरी हेतु भूमि व सामग्री की अनुमानित लागत नीचे दी गई The estimated cost of the land and materials for the construction		ven below	,
भूमि / Land			
पता / Location, .सर्वे नंबर / Survey Number		, गाँव	T/Village:
जिला / District :, राज्य / State :			
2. क्षेत्र / Area :	3. लागत /	Cost :	
निर्माण सामग्री आदि / Building materials, etc. :-			
1. ईंटें / Bricks	दर / Quantity	मात्रा	लागत / Cost
2. सीमेंट / Cement			
3. लोहा व स्टील ∕ Iron and Steel			
4. लकड़ी / Timber			
5. सेनीटरी फिटिंग / Sanitary fittings 6. बिजली फिटिंग / Electrical fittings			
अन्य कोई विशेष फिटिंग / Any other special fittings			
9. अन्य खर्च, यदि कोई हों / Other charges, if any			
<ul> <li>भूखण्ड और भवन की कुल लागत/Total cost of Land and Building:</li> <li>निर्माण कार्य की देखरेख मेरे द्वारा की जाएगी/निर्माण</li> <li>के द्वारा किया जाएगा (ठेकेदार का नाम व कार्य का स्थान भरें)</li> <li>The construction will be supervised by myself. / The construction will be done by (Enter the name and place of business of the contractor).</li> </ul>			
• मेरा ठेकेदार से कोई सरकारी लेनदेन नहीं है और न ही विगत में पहले कभी I do not have any official dealings with the contractor nor did I have any official de	•		ा रही है।
<ul> <li>मेरा ठेकेदार से सरकारी लेन देन है/था एवं मेरा लेनदेन निम्न प्रकार था :— I have/had official dealings with the contractor and the nature of my dealing with h (उस हि</li> </ul>			Strike out the portion not applicable)
3. प्रस्तावित निर्माण कार्य की लागत निम्न प्रकार है/The cost of the proposed co <u>राशि (रू</u>	nstruction will be .) / Amount (Rs.)	as under	
(i) स्वयं की बचत/ Own savings :			भवदीय / Yours faithfully

### मकान निर्माण / बढ़ोतरी पूर्ण होने के उपरांत निर्धारित प्राधिकारी को दी जाने वाली रिपोर्ट का फॉर्म FORM OF REPORT TO THE PRESCRIBED AUTHORITY AFTER COMPLETION OF THE BUILDING/EXTENSION OF A HOUSE. {केन्दीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली 1964 के नियम 18 के अधीन निर्णय संख्या (2) अनुसार /

As per Decision No.(2) below Rule 18 of CCS(conduct) Rules 1964  $\}$ 

		ादनाक / Date,	
प्रस्तुतकर्त्ता / From :			
सेवा में / To :			
महोदय/Sir,			
मेरे पत्र संख्या हूँ।	दि मे	में मैंने यह सूचना दी थी कि मैं एक मकान ब	माना चाहता
	dated	I had reported that I proposed to b	ouild a house.
Permission was granted to me	in Order No	के तहत मकान बनाने की अनुमति प्रद for the buildin जो लागू नहीं है / Strike out the portions n	g of a house.
(एक प्रतिष्ठित सिविल इंजीनिय	रों या सिविल इंजीनियर apleted and I enclose a	द्वारा प्रमाणित मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न कर र a Valuation Report, duly certified by pute.	C ( )
C1		लागत को निम्नलिखित स्त्रोतों से पूरा किय d Valuation Report was financed as unde	
		राशि(रूपये में) / Amount (In Rs.)	
(i) स्वयं की बचत/Own S	avings	:	
(ii) ऋण/अग्रिम ब्यौरे सहित	/Loans/Advances wi	rith full details:	
		भवदीय /Yo	ours faithfully,

नोट :- ऊपर इस फॉर्म में दिए गए अंकों और पूर्व के अनुरोध में उल्लेखित अंकों में यदि भिन्नता है तो उसे भलीभांति स्पष्ट करें। Note :- Variations, if any, between the figures given above and figures in Form 2 may be explained suitably.

आवेदक के हस्ताक्षर Signatures of applicant

### **VALUATION REPORT**

Constructed by Shri/Smt	and I/we give below the
value at which I/we give below the value as wh	ich I/we estimate the cost of the house under the
following headings:-	
	Cost(In Rs.)
<u>Heading</u>	
1. Bricks	
2. Cement	
3. Iron and Steel	
4. Timber	
5. Sanitary fittings	
6. Electrical fittings	
7. All other special fittings	
8. Labour charges	
9. All other charges	
Total cost of the bu	ilding
Total cost of the bu	nung
Date:	

(Signature and Designation of the Valuation Authority)